ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री वीरेंदर कुमार	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती कमला देवी	01-04-22 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत तान्दी के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में लाख का अन्तर पाया	5.18

2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.00
3.	6	प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में अंतर पाया जाना	0.42
4.	7	पंचायत राजस्व राशि लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.61
5.	8	मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे	0.01
6.	11	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के अधिक भुगतान करना	0.01
7.	11(ग)	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करने बारे	0.06
8.	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.19

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 27-05-2024 से दिनांक 31-05-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, तान्दी में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	07/22	07/22
2022-23	11/23	12/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹8,000**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 239 दिनांक 16.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत तान्दी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत तान्दी के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	26530.00	1036786.00	1063316.00	40624.00	1022692.00
2023-24	1022692.00	80984.00	1103676.00	91488.00	1012188.00

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत तान्दी के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	5570388.00	8008361.00	13578749.00	8063704.00	5515045.00
2023-24	5515045.00	7774492.00	13289537.00	9788645.00	3500892.00

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	General/5TH FC	KCCB KEYLONG	20007336172	1618206.00
2.	VKVNY/VMJS/SDRF/ SADA	SBI KEYLONG	11390272885	1547656.86
3.	15TH FC	CBI KEYLONG	3778734048	1611301.00
4.	14TH FC	KCCB KEYLONG	50066090485	253806.64
	हस्तगत रोकड़			0.00
कुल योग				**5030970.50**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	5030970.50
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	4513080.00
अंतर	**517890.50**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹5.18 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को **₹517890.50** की राशि का अन्तर पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 268 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही व बैंक खातों में अंतर दर्शाया गया है , जिसे अब अन्तर का पता लगाकर व दुरुस्त करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है , तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चूका है अथवा नहीं|

अनुदान/शीर्ष	वॉउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
14^{TH} FC	12/06.10.2021	मुरम्मत पंचायत घर तान्दी	38886
VMJS	07/11.07.2022	c/o of lift irrigation facility to Tandi village	721799
VMJS	20/12.12.2023	निर्माण सिंचाई योजना क्रोनिंग से चन्द्रभागा नदी तक	692880

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 270 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार

किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. अनुदान राशि ₹35.00 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सुचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹3500892.00 उपयोग हेतु शेष थी | जिससे स्पष्ट है की विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 269 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा |

अत: जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्ति हो चुकी है उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹0.42 लाख अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है | इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (समान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (Computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखे Priya Soft में बनाये जा

रहें है बे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलन नही खाते | परिणामस्वरूप ₹41836.50 का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	22-23	8721710.00	8124713.00	596997.00	7692132.00	7183894.00	508238.00
2	23-24	6578907.00	6984182.00	405275.00	8364000.00	9008839.00	644839.00

(ख) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND)	अंतर
2023-24	4974134.00 + 15000 (CASH IN HAND) = 4989134.00	5030970.50	41836.50

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.61 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

(क) गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.45 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था प्राप्त सुचना के अनुसार ₹45050 की वसूली 31.03.24 को शेष थी , जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" व नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर**	**आ. शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2022-23	161	50	29000	8050	37050	0	37050
2023-24	160	50	37050	8000	45050	0	45050

(ख) भवन का किराया :-

ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो कमरों का किराया ₹15884 प्रति वर्ष की दर से " हिमालय जैव सपंदा प्राद्यौगिकी संस्थान" को किराये पर आबंटित किया गया था परन्तु आबंटन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण प्रस्तुत नहीं किये गए| पंचायत द्वारा उपलव्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 ₹15884 की थी राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** व . निम्नानुसार है :-

वर्ष	आ. शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	0	15884	15884	0	15884
2023-24	15884	15884	31768	15884	15884

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 271 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (Outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत तान्दी द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹1200** की वसूली नहीं की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	वसूली योग्य राशि
1.	निखिल पाल सुपुत्र श्री देवेन्दर पाल	10.03.22	04.04.22	200
2.	श्री अभिषेक सुपुत्र श्री	09.10.22	17.10.22	200

	राजेश			
3.	प्रमोद सिंह सुपुत्र श्री वीर सिंह	09.11.22	21.11.22	200
4.	रणजीत सिंह सुपुत्र श्री राम लाल	20.04.23	04.05.22	200
5.	राहुल सुपुत्र श्री प्रेम चंद	31.07.23	19.08.23	200
6.	करणदीप सुपुत्र श्री निहाल चंद	08.09.23	27.09.23	200
कुल योग				**1200/-**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 274 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण फीस की कम वसूली राशि को वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा,जिससे अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

8. ₹1250 का मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान सामान्य रोकड़ बही के वॉउचर संख्या 10 से 15 दिनांक 15.07.2022 की जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का भुगतान 18.10.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए किया गया था परन्तु इस भुगतान किये गये मानदेय की अवधि के दौरान माह मार्च 2022 में केवल एक ही ग्राम पंचायत की

वैठक हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पंचायत पदाधिकारियों को एक ग्राम पंचायत वैठक का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पंचायत सदस्य का नाम	पंचायत वैठकों की अवधि	भुगतान की गयी राशि	अंकेक्षण के अनुसार पंचायत वैठकों की कुल संख्या	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1	श्री शमशेर सिंह	18.10.2021 से 31.03.2022	2750 (11X250)	10	2500 (10X250)	250
2	श्री अनिल कुमार	18.10.2021 से 31.03.2022	2750 (11X250)	10	2500 (10X250)	250
3	श्रीमती आशा देवी	18.10.2021 से 31.03.2022	2750 (11X250)	10	2500 (10X250)	250
4	श्रीमती शकुंतला	18.10.2021 से 31.03.2022	2750 (11X250)	10	2500 (10X250)	250
5	श्रीमती विमला	18.10.2021 से 31.03.2022	2750 (11X250)	10	2500 (10X250)	250
कुल योग						**1250/-**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 272 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना संख्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत पदाधिकारियों को मासिक बैठक की अधिक अदायगी की गयी थी जिसे अब वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा व लेखा परीक्षा से अवगत करवाया जाएगा। अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी है जो कि अनियमित है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.	अनिल कुमार	.....1053... 17.11.2023 से 30.11.2023	शिव मंदिर मलंग से बोकटा ट्रिलर रोड निर्माण तक	17.11.2023	17.11.2023	500	294
2.	आशा देवी	.....1286...... 13.12.2023 से 26.12.2023	निर्माण रास्ता थोलंग से मलंग तक	18.11.2023	18.11.2023	500	294

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 273 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्यों को दोहरा भुगतान किया गया था जिसे वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा व लेखा परीक्षा से अवगत करवाया जाएगा ।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. (क) राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थाई संपत्तियों को दर्ज नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 13 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था।

पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल संपत्तियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन ही नहीं बल्कि पंचायत सचिव की लापरवाही भी है जोकि गंभीर अनियमितता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 276 (A) दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तांदी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय

संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत तांदी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्नं तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
22-23	21	16	5	137	62	62	3449	11	7255	3806
23-24	31	16	15	138	60	60	2870	4	10204	7334

-40-

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 282 दिनांक 31.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्य दिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य कियान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 370.11 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट "(ङ)** " व नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**बिल संख्या /दिनांक**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि**	**मात्रा CUM**	**निर्धारित फैक्टर**	**मात्रा प्रति मीट्रिक टन**	**रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन**	**राशि**
1	मनी राम गाँव केलांग	वॉउचर संख्या 23 दिनांक 14.12.2023	रेत	7332	1.88	1.62	3.05	80	243.65
2	मनी राम गाँव केलांग	वॉउचर संख्या 23 दिनांक 14.12.2023	बजरी	4316	1.04	1.52	1.58	80	126.46
कुल योग									**370.11**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 277 दिनांक 31.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रॉयल्टी वसूल नही की जा रही है और न ही x form लिए जा रहे है, जिसे अब नियमानुसार लिया जाएगा व रॉयल्टी को वसूल करके संबन्धित विभाग में जमा करवाया जाएगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) रॉयल्टी से प्राप्त ₹0.01 लाख की राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान सामान्य रोकड़ वही की जाँच के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के पृस्थ संख्या 06 के अनुसार ₹1128 की राशि रॉयल्टी के रूप में प्राप्त की गई थी जिसे पंचायत निधि में ही रखा गया था परन्तु उपरोक्त नियमानुसार रॉयल्टी के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाना अपेक्षित था |

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 279 दिनांक 31.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **रॉयल्टी** के रुप में प्राप्त ₹1180 की राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया था जिसे अब अंकेक्षण के सुझावनुसार संबन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दौहराया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में भी **रॉयल्टी** के रुप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती न करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश जी0 एस0 टी0 अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि0प्र0 आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part-(278/25)-2950 दिनांक 28-09-2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति /फ़र्म /संस्था /स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority /Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार संविदाकार व्यक्ति ,फ़र्म को सेवाएँ तथा वस्तुएँ प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1 %सी0जी0एस0टी0 +1% एस0जी0एस0टी0 –अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2%आई0जी0 एस0 टी0 – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0की कटौती संबन्धित व्यक्ति/फ़र्म/संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबन्धित विभाग में जमा करवानी अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार संविदाकार/आपूर्तिकर्ता से भुगतान बिलों पर उपरोक्त अधिनियम के अनुसार स्त्रोत पर जी0 एस0 टी0 टी0 डी0 एस0 की कटौती नहीं की गयी थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	वॉउचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	कार्य का नाम	शीर्ष	भुगतान की गई राशि	कटौती की दर	राशि (₹)
1	एम/एस नायक इलैक्ट्रिकल वर्क्स लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदर नगर जिला मंडी	वॉउचर संख्या 7 दिनांक 11.07.22	403/21.05.2022	GMS Zinc coated MSERW pipe 80 mm	c/o providing lift irrigation facilities to tandi village	VMJS	591876	2.00%	1183[illegible]

-44-

2	एम/एस रूबी इलैक्ट्रिक वर्क अखारा बाज़ार कुल्लू जिला कुल्लू	वॉउचर संख्या 9 दिनांक 13.07.2022	rew/102 दिनांक 16.09.2022	lift irrigation related items	c/o providing lift irrigation facilities to sunhnam village	VKVNY	1095800	2.00%	21916
3	वीरभद्र सिंह मॉडल टाउन मनाली 175,जिला कुल्लू	वॉउचर संख्या 20 दिनांक 12.12.2023	068-069/02.08.2023	हार्डवेर आइटम	c/o providing lift irrigation facilities to krojing village from chander bhaga river		692880	2.00%	13858
कुल योग									**47612**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 278 दिनांक 31.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि कि जीएसटी टीडीएस के रूप में कटौती न करने के कारण ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके संबधित सरकारी विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.19 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वॉउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में **₹219550/-** की निर्माण से समाबंधित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त बर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के

कारण निम्र विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	वॉउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	038/20.05.22	11/15.07.2022	4515	शिवम प्लाईवूड हार्डवेर स्टोर केलांग जिला लाहौल स्पीति	ईंट व लकड़ी	64650
2	106/19.05.22	13/15.07.2022	4515	विनोष इलैक्ट्रिकल वर्क नया बस स्टैंड उदयपुर	बिजली का सामान	55000
3	043/01.09.2023	24/14.12.2022	vkvny	मनोकामना आइरन वर्क केलांग जिला लाहौल स्पीति	पाइपे	39900
4	1387/12.12.2023	29/29.12.2023	vkvny	कोमल एनतेरप्राइसेस केलांग जिला लाहौल स्पीति	गैस व बर्तन	25000
5	1275/28.06.2022	04/17.07.2022	14th fc	कोमल एनतेरप्राइसेस केलांग जिला लाहौल स्पीति	प्लाई वूड व पेंट	35000
कुल योग						**219550/-**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 281 दिनांक 31.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निविदा आमंत्रित किये विना सामान की अनियमित खरीद की गयी थी, जो नियमानुसार सही प्रतीत नही होता ,जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में समान को निविदा आमंत्रित करते हुए नियमानुसार खरीद की जाएगी व अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा उत्तर संतोषजनक नही था |

-46-

अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i) पटवारी अपने बृत के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की बसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की बार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जी की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति, के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि भू-राजस्व से सम्बन्धित कोई भी राशि पंचायत द्वारा प्राप्त नही की गई थी जबकी उपरोक्त निर्देशों के अनुसार लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली करना अपेक्षित है। जांच में आगे यह पाया गया की प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की बार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की बसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिशिचित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना

द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचयत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच नहीं की जा सकी जो की नियमो के बिरुद्ध था।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या% 276 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की बसूली के संधर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखा परीक्षा को अवगत किया जाएगा। अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्टरोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वॉउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहद की गई आदायगी को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्टरोलों को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त

-48-

नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्टरोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 280 दिनांक 31.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर संख्या 01 दिनांक 31.05.2024 को सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि आपके द्वारा जारी अधियाचना संख्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्टरोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा	--	103

	नियमानुसार नहीं किया गया है।		
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

16. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में भी आपत्ति दर्शाई गयी थी परन्तु पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी थी । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया

-50-

गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17. **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

06 AUG 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 06.8.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/50

3866 – 3870

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (8) 11/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत तान्दी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 AUG 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 06.8.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT TANDI BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI PINCODE 175132

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	26530	1036786.00	1063316	40624.00	1022692.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **26530.00**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT TANDI BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI PINCODE 175132

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	1022692.00	80984.00	1103676	91488.00	1012188

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **1022692.00**

हस्ताक्षर ....

दिनाँक ....

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के सन्दर्भ में — 52 —

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP LAHUL SAPITI BLOCK LAHUL FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	565504.64	10810.00	576314.64	330000.00	246314.64
2	MGNREGA	0.00	920434.00	920434.00	920434.00	0.00
3	SADA	0.00	976086.00	976086.00	973810.00	2276.00
4	5TH FC	514024.00	995676.00	1509700.00	279124	1230576.00
5	VMJS		721799.00	721799.00	721799.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	BDO GRANT (HEAD-4515)	802775.00	330000.00	1132775.00	1132775.00	0.00
8	VKVNY	1178201.10	1850000.00	3028201.10	2639172	389029.10
9	SDRF	1319797.26	150000.00	1469797.26	100000.00	1369797.26
10	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	470590.00	470590.00	470590.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1190086.00	1582966.00	2773052.00	496000.00	2277052.00
	TOTAL	5570388.00	8008361.00	13578749.00	8063704.00	5515045.00

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP TANDI BLOCK LAHUL FOR THE YEAR 2023-24						
S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	246314.64	7492.00	253806.64	0.00	253806.64
2	MGNREGA	0.00	871294.00	871294.00	871294.00	0.00
3	SADA	2276.00	0.00	2276.00	0.00	2276.00
4	5TH FC	1230576.00	0	1230576.00	1029929	200647.00
5	VMJS	0.00	3969346.00	3969346.00	3969346.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	BDO GRANT (HEAD-4515)	0.00	666500.00	666500.00	612397.00	54103.00
8	VKVNY	389029.10	0	389029.10	330500	58529.10
9	SDRF	1369797.26	654000.00	2023797.26	654000.00	1369797.26
10	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	906211.00	906211.00	906211.00	0.00
14	SDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	2277052.00	699649.00	2976701.00	1414968.00	1561733.00
	TOTAL	5515045.00	7774492.00	13289537.00	9788645.00	3500892.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 5515045.00

ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड लाहौल
जिला लाहुल स्पिति (हि० प्र०)

BANK DETAIL OF GP TANDI BLOCK LAHUL DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB KEYLONG	20007336172	540554.00
2	SBM	KCCB KEYLONG	50066729514	4.00
3	VKVNY/VMJS/SDRF /SADA	SBI KEYLONG	11390272885	3300793.36
4	15TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	3778734048	1190062.00
5	14TH FC	KCCB KEYLONG	50066090485	565504.64
	CASH IN HAND			0.00
	TOTAL			5596918.00

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB KEYLONG	20007336172	2317341.00
2	SBM	KCCB KEYLONG	50066729514	0.00
3	VKVNY/VMJS/SDRF /SADA	SBI KEYLONG	11390272885	1790608.36
4	15TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	3778734048	2277052.00
5	14TH FC	KCCB KEYLONG	50066090485	246314.64
	CASH IN HAND			0.00
	TOTAL			6631316.00

BANK DETAIL OF GP TANDI BLOCK LAHUL DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC	KCCB KEYLONG	20007336172	1618206.00
2	VKVNY/VMJS/SDRF /SADA	SBI KEYLONG	11390272885	1547656.86
3	15TH FC	CENTRAL BANK OF INDIA KEYLONG	3778734048	1611301.00
4	14TH FC	KCCB KEYLONG	50066090485	253806.64
	CASH IN HAND			0.00
	TOTAL			5030970.50

प्रधान
विकास खण्ड लाहौल
जिला लाहुल स्पिति (हि० प्र०)

परिशिष्ट-ख पैरा 7(क) सदंर्भ मे

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT TANDI BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	161	50	29000	8050	37050	0	37050

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT TANDI BLOCK LAHUL DISTRICT LAHUL SAPITI

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	160	50	37050	8000	45050	0	45050

J.A

ग्राम ...... विकास खण्ड लाहौल
जिला लाहुल स्पिति (हि० प्र०)

हस्ताक्षर ......
दिनांक ......

परिशिष्ट-ग पैरा (ख) के संदर्भ में

Outstanding Balance of Room rent at Diet as on 31.03.2024 in r/o Gram Panchayat TANDI DEV. Block Lahul Distt. Lahul Sapiti :-

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Amount
2022-23	0	15884	15884	0	15884
2023-24	15884	15884	31768	15884	15884

सचिव ग्राम पंचायत ... विकास खण्ड लाहौल जिला लाहुल स्पिति (हि० प्र०)

GP Tandi

Year	Estimated Work in Mnrega shelf	Work done Under Mnrega Shelf	Difference Between Shelf and Work done	No of Job Card (HH)	No of HH Work Demanded	No of HH Work Provided	Mandays During the Year	HH Provided 100/120 Days	Mandays Regarding Mnrega Shelf	Lack of Mandays During the Year
2022-23	21	16	5	137	62	62	3449	11	7255	3806
2023-24	31	16	15	138	60	60	2870	4	10204	7334

G.R.S.

ग्राम पंचायत...
विकास खण्ड ...
जिला लाहुल स्पिति (हि० प्र०)

32